न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 83/2014

अपीलांट

1. मृतक वगतावर सिंह वल्द लखसिंह जी जाति राजपूत निवासीगुडा केसरसिंह तह. मारवाड जंक्शन जिला पाली के कायम मुकाम–
   1/1 भंवरसिंह पुत्र वगतावर सिंह जी
   1/2 अचलसिंह पुत्र वगतावरसिंह जी
   1/3 उम्मेदसिह पुत्र वगतावर सिंह जी
   1/4 गणपतसिंह पुत्र वगतावर सिंह जी
   1/5 कैलाश कंवर पुत्री वगतावर सिंह जी
   1/6 श्रवण कंवर पुत्री वगतावर सिंह जी
   1/7 कंचन कंवर पुत्री वगतावर सिंह जी
   1/8 राजेन्द्र कंवर पुत्री वगतावार सिंह जी
   1/9 साव कंवर बेवा वगतावर सिंह जी
   तमाम जातिगण अकवाम राजपूत, निवासीगण गुडा केसरसिंह तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. मृतक जीवनकंवर बेवा भोपालसिंह का वारिसान –
   1/1 दलपतसिंह गोदपुत्र भोपालसिंह जी जाति राजपूत निवासी गुडा केसरसिंह तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।
   1/2 चैन सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह जी अकवाम तहसील मारवाड जंक्शन
   1/3 उप पंजीयन अधिकारी उपपंजीयन कार्यालय मारवाड जंक्शन जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
1. श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सी.पी. सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 व 02
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 30.04.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 412/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा एक वाद धारा 88, 188 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम गुडा केशरसिंह के वर्तमान खसरा नंबर 825 गत खसरा नंबर 689 रकबा 3..1995

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हैक्टर भूमि के संबध में इस आशय में प्रस्तुत किया गया कि लखसिंहजी लाऔलाद फौत हुए, जिन्होने शिवनाथ सिंहजी के पुत्र अर्थात अपीलांट वक्तावरसिंहजी को गोद लिया था। अपीलांट वक्तावर सिंह को लखसिंह की पत्नी सायरकंवर द्वारा कार्तिक सुदी पुनम संवत 2006 शनिवार को गोद लिया था और गौद के दस्तावेज का पंजीयन उपपंजीयन खारची के कार्यालय में दिनांक 28.12.1955 को करवाया गया। सांयरकंवर की मृत्यु के पूर्व ही वादग्रस्त आराजी अपीलांट के नाम दर्ज हो चुकी थी। किन्तु रेस्पोडेन्टगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों से अवैध रूप से मिलावट कर अपीलांट के 1/2 हिस्से में दर्ज नाम को हटाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पति ने अपने नाम बाले–बाले दर्ज करवा लिया, एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने इसका फायदा उठाकर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में से आधे हिस्से का विक्रय विलेख दिनांक 17.08.2010 को प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष मे निष्पादित कर पंजीयन करवा दिया, जो विक्रय विलेख अपीलांट के हितो के विरूद्ध शून्य व निष्प्रभावी है। उक्त अपीलांट को उक्त आराजी को खातेदार घोषित किया जावे। जिसमें रेस्पोडेन्ट की ओर से एक आवेदन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत दिनांक 13.03.2014 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावा बेचाननामा दिनांक 17.08.2010 को शून्य व निष्प्रभावी होने की घोषणा का किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद सुनने की अधिकारिता राजस्व न्याायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को सुनने का हवाला देते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत सुनवाई का अधिकार न होने का हवाला देते हुए खारिज किया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावा विक्रय विलेख को शून्य व निष्प्रभावी घोषित करने का दावा नहीं किया, बल्कि वाद में इस संदर्भ में तथ्य अंकित किये है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पति ने राजस्व कर्मचारियो से मिलावट कर अपीलांट का 1/2 हिस्सा जो बाले–बाले अपने नाम दर्ज करवा दिया था, जो उसकी मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम दर्ज की गई। उक्त आराजी का रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में जो विक्रय विलेख दिनांक 17.08.2010 को निष्पादित कर पंजीयन करवाया है उक्त पंजीयन अपीलांट के हक, हकूक, हितो के विरूद्ध स्वतः ही निष्प्रभावी है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लिखित बहस में न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्णित किया गया था कि जो दस्तावेज एबइनिशियो वॉइड है उसके संदर्भ में वाद मे सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है एवे जो दस्तावेजात वॉइडेबल है और जिन्हे निरस्त करवाये बिना अधिकार प्राप्त नहीं होते है, उन दस्तावेजात बाबत वाद सुनने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री में वॉईड व वॉईडेबल की परिभाषा दी गई है वह न्यायिक दृष्टि से कतई उचित नहीं है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के स्तर पर केवल वाद और वादपत्रो के समर्थन में पेश किये गये दस्तावेज को ही देखे जाने का अधिकार रहता है, इस स्तर पर प्रतिवादी की डिफेन्स को देखे जाने और प्रतिवादी के दस्तावेजात को देखे जाने और उस पर फाईडिंग देने को कोई अधिकार नहीं होता है। वाद को टुकडे–टुकडे में नहीं पढा जाकर वाद को पढते हुए सम्पूर्ण वाद को किस परिपेक्ष में और किस अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है, इस संदर्भ में पढा जायेगा। अपीलांट द्वारा अपने वाद के अनुतोष 11–ए में वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदारी टीनेंट घोषित करने का अनुतोष चाहा है एवं वाद के पद संख्या 05 में यह स्पष्ट अंकित किया है, कि उपरोक्त विक्रय विलेख 17.08.2010 अपीलांट के हितो के विरूद्ध शून्य व निष्प्रभावी है। जिससे अपीलांट को अलग से अनुतोष प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा के समक्ष रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका था, रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण जवाबदावा में अभिलिखित अभिवचानो के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रकरण को निर्णित किया जाना था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किये जैर अपील व निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जजैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाते हुए पत्रावली रिमांड की जावे। अपने कथनो के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

समर्थन में वकील अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये– 2010(1)R.R.T पेज नं 1141, 2002R.R.T पेज 702, 2012 D.N.J (SC) पेज 683, 2018(1)R.R.Tपेज नं 584, 2019(1)R.R.T पेज नं 43, 2012(1)R.R.D पेज नं 492, 2015(1)R.R.T पेज नं 474, 2013 D.N.J पेज 265, 2015(1)R.R.T पेज नं 100, 2014–15(1)R.R.Tपेज नं 596, 2012(4)R.L.W पेज नं 350, 2014–15 R.R.T पेज नं 599, 2017(2)R.R.T पेज नं 1174, 2008(1)R.L.W पेज नं 776.

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा एक वाद धारा 88, 188 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम गुडा केशरसिंह के वर्तमान खसरा नंबर 825 गत खसरा नंबर 689 रकबा 3..1995 हैक्टर भूमि के संबध में इस आशय में प्रस्तुत किया गया कि लखसिंहजी लाऔलाद फौत हुए, जिन्होने शिवनाथ सिंहजी के पुत्र अर्थात अपीलांट वक्तावरसिंहजी को गोद लिया था। अपीलांट वक्तावर सिंह को लखसिंह की पत्नी सायरकंवर द्वारा कार्तिक सुदी पुनम संवत 2006 शनिवार को गोद लिया था और गौद के दस्तावेज का पंजीयन उपपंजीयन खारची के कार्यालय में दिनांक 28.12.1955 को करवाया गया। सांयरकंवर की मृत्यु के पूर्व ही वादग्रस्त आराजी अपीलांट के नाम दर्ज हो चुकी थी। किन्तु रेस्पोडेन्टगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों से अवैध रूप से मिलावट कर अपीलांट के 1/2 हिस्से में दर्ज नाम को हटाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पति ने अपने नाम बाले–बाले दर्ज करवा लिया, एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने इसका फायदा उठाकर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में से आधे हिस्से का विक्रय विलेख दिनांक 17.08.2010 को प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष मे निष्पादित कर पंजीयन करवा दिया, जो विक्रय विलेख अपीलांट के हितो के विरूद्ध शून्य व निष्प्रभावी है। उक्त अपीलांट को उक्त आराजी को खातेदार घोषित किया जावे। जिसमें रेस्पोडेन्ट की ओर से एक आवेदन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत दिनांक 13.03.2014 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावा बेचाननामा दिनांक 17.08.2010 को शून्य व निष्प्रभावी होने की घोषणा का किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद सुनने की अधिकारिता राजस्व न्याायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को सुनने का हवाला देते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। हस्तगत प्रकरण में वास्तविकता यह है कि करणसिंह एवं लखसिंह दो भाई थे। लखसिंह की पत्नी सांयरकुंवर द्वारा अपीलांट को गोद लेने से पूर्व एवं गोदनामा दिनांक 28.12.1955 को निष्पादित करने से पूर्व अपीलांट की सहमति से वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 825 में से अपना आधा हिस्सा पारिवारिक समझौता के तहत प्रतापसिंह पुत्र करणसिंह एवं भोपालसिंह को दे दी गई थी। उक्त पारिवारिक समझौते के तहत दिनांक 07.06.1961 को नामान्तरण भोपालसिंह वल्द प्रतापसिंह एवं प्रतापसिंह वल्द करणसिंह के नाम दर्ज होकर 3/4 हिस्सा खातेदारी में दर्ज किया गया। उक्त पारिवारिक समझौते पर अपीलांट वक्तावर स्वंय के हस्ताक्षर है। अपीलांट को वादग्रस्त आराजी पर संवत 2012 से कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पति का एवं उनकी मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वादग्रस्त आराजी पर लगभग 55 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपने जीवन निर्वाह हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को दिनांक 17.08.2010 को जरिये विक्रय विलेख वादग्रस्त आराजी का आधा हिस्सा बेचान किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर उक्त विक्रय विलेख को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित कराने की इस्तदुआ चाही गई थी। जो अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने से इसके विरोध में रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। अपने कथनो के समर्थन में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये– 2010(1)आर.आर.टी पेज नं 124, 2002(1)आर.आर.टी पेज 584, 2018आर.बी.जे. पेज नंबर 718, 2015 W.L.C

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पेज नंबर 299, 2003(1) आर.आर.टी. पेज नंबर 714, 2017(2) आर.आर.टी पेज नंबर 1004, 2015(2) आर.आर.टी पेज नंबर 1075

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा एक वाद धारा 88, 188 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम गुडा केशरसिंह के वर्तमान खसरा नंबर 825 गत खसरा नंबर 689 रकबा 3..1995 हैक्टर भूमि के संबध में इस आशय में प्रस्तुत किया गया कि लखसिंहजी लाऔलाद फौत हुए, जिन्होने शिवनाथ सिंहजी के पुत्र अर्थात अपीलांट वक्तावरसिंहजी को गोद लिया था। अपीलांट वक्तावर सिंह को लखसिंह की पत्नी सायरकंवर द्वारा कार्तिक सुदी पुनम संवत 2006 शनिवार को गोद लिया था और गौद के दस्तावेज का पंजीयन उपपंजीयन खारची के कार्यालय में दिनांक 28.12.1955 को करवाया गया। सांयरकंवर की मृत्यु के पूर्व ही वादग्रस्त आराजी अपीलांट के नाम दर्ज हो चुकी थी। किन्तु रेस्पोडेन्टगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों से अवैध रूप से मिलावट कर अपीलांट के 1/2 हिस्से में दर्ज नाम को हटाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पति ने अपने नाम बाले–बाले दर्ज करवा लिया, एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने इसका फायदा उठाकर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में से आधे हिस्से का विक्रय विलेख दिनांक 17.08.2010 को प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष मे निष्पादित कर पंजीयन करवा दिया, जो विक्रय विलेख अपीलांट के हितो के विरूद्ध शून्य व निष्प्रभावी है। उक्त अपीलांट को उक्त आराजी को खातेदार घोषित किया जावे। जिसमें रेस्पोडेन्ट की ओर से एक आवेदन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत दिनांक 13.03.2014 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावा बेचाननामा दिनांक 17.08.2010 को शून्य व निष्प्रभावी होने की घोषणा का किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद सुनने की अधिकारिता राजस्व न्याायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को सुनने का हवाला देते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि लखसिंह की पत्नी सांयरकुंवर द्वारा अपीलांट वगतावरसिंह को कार्तिक सुदी पुनम संवत 2006 शनिवार को गोद लिया गया, एवं उक्त गोद के दस्तावेज का पंजीयन उपपंजीयन खारची के कार्यालय में दिनांक 28.12.1955 को करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। एवं उसके पश्चात दिनांक 08.11.12 को तनकीयात विचरित की गई। उसके पश्चात अपीलांट द्वारा दिनांक 02.05.2013 को आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी को आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर वादपत्र के पद संख्या 11 (अ) में अपीलांट को खातेदार टिनेन्ट घोषित करने का संशोधन किया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 04.07.2013 को संशोधित वाद प्रस्तुत किया जिसमें अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में प्रस्तुत संशोधित शीर्षक वाद में अनुतोष– 11 के अन्तर्गत 5 इस्तदुआ चाही है–

1. यह है कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से बाधित फरमावे कि वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि नये खसरा नंबर 825 का वादी को खातेदार टिनेन्ट घोषित फरमाते हुये किसी अन्य को बचान, बक्शीश, वसीयत, रहन इत्यादी नहीं करे एवं वादी के कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वंय करे एवं न ही अपने किसी रिश्तेदार, नौकर मजदूर या एजेंट से करावे।
2. यह है कि विक्रय विलेख दिनांक 17.08.2010 को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करावे।
3. यह कि वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि नये खसरा नंबर 825 के 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित फरमावे।
4. यह है कि वाद व्यय वादी को प्रतिवादीगण से प्रदान करावे।
5. यह है कि अन्य कोई अनुतोष जो न्यायोचित हो वादी को प्रदान करावे।

इसके पश्चात दिनांक 21.10.2013 को साक्ष्य वादी शपथ–पत्र प्रस्तुत किये। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत किया गया। जिस

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा दिनांक 02.05. 2013 को आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी को आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर अपीलांट के पद संख्या 11 (अ) में अपीलांट को खातेदार टिनेन्ट घोषित करने का संशोधन किया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 04.07.2013 को संशोधित वाद प्रस्तुत किया जिसमें अपीलांट द्वारा पद संख्या 01 के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि नये खसरा नंबर 825 का वादी को खातेदार टिनेन्ट घोषित फरमाते हुये किसी अन्य को बचान, बक्शीश, वसीयत, रहन इत्यादी नहीं करे एवं वादी के कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वंय करे एवं न ही अपने किसी रिश्तेदार, नौकर मजदूर या एजेंट से करावे की इस्तदुआ चाही, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट के उक्त बिन्दु का बिना कोई विवेचन किये केवल बिन्दु संख्या 02 के आधार पर क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। इस संबध में 2010(1)R.R.T पेज नं 1141 ओंकारसिंह व अन्य बनाम सुरेन्द्र सिंह व अन्य में यह प्रतिपादित किया है कि "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 7 नियम 11–वादपत्र निरस्त करना–आवेदन स्वीकार किया–राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की और मामला प्रतिप्रेषित किया–अपील–वादी ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा–क्षेत्राधिकारिता का अभाव होने के आधार पर वादपत्र खारिज किया–वादी ने पॉवर ऑफ एटार्नी एक विक्रय पत्र कूटरचित एवं जाती होने से चुनौती दी– क्षेत्राधिकारिता का प्रश्न विधि व तथ्यों का मिश्रित प्रश्न है जो तनकीयात बनाये निर्णीत नहीं किया जा सकता–वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं है–निर्णीत, रिमांड के आदेश शिथिलता नहीं है।" इसी प्रकार 2002 R.R.D पेज 702 Govind Gupta vs Thakur Mohan Singh Kanota मे यह प्रतिपादित किया गया है कि " Code of Civil Procedure, Order 7, Rule 11 - Cause of action is pleaded in para 10 of the plaint - Reply has not been submitted by appllant- defendant-He is free to agitate objection about jurisdiction and limitation, etc.-Issues could be framed by the court and decided- of trial court acception application under Order 7 Rules 11 has been rightly set aside by R.A.A. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के संशोधित पद संख्या 11 (अ) में वर्णित अनुतोष को तनकीयात कायम कर साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णीत किया जाना था। इसके अतिरिक्त जहां तक अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संशोधित पद संख्या 11 (ब) में वर्णित अनुतोष का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण वादपत्र के पद संख्या 11 (अ) में वर्णित अनुतोष को दस्तावेजी साक्ष्यो एवं गवाहो से साबित करने में अगर सफल हो जाते है तो उस अवस्था में उक्त विक्रय विलेख स्वतः ही शून्य घोषित हो जायेगा, एवं वकील अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त स्वतः ही चस्पा हो जायेगे। किन्तु हस्तगत प्रकरण में इस स्तर पर उक्त अनुतोष के संबध में किसी प्रकार की राय रखना उचित नहीं समझते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के संशोधित पद संख्या 11 (अ) में वर्णित अनुतोष को तनकीयात कायम कर साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णीत किया जाना था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया को ध्यान में न रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 412/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2014 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत संशोधित वाद पत्र के पद संख्या 11 में वर्णित अनुतोष (अ) व (स) के संबध में उभयपक्ष को साक्ष्य, सुनवाई का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली